प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला.....चौकी भ्र.नि.ब्यूरो एस.यू. बीकानेर.....थाना सी.पी.एस भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर.....
   प्र.इ.रि.सं.....502/2022.....दिनांक.....28/12/2022.....
2. (I) अधिनियम.....भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018).....धारा.....7.....
   (II) अधिनियम.....धारा.....
   (III) अधिनियम..... धारा.....
   (IV) अन्य अधिनियम एवं धाराएं .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .....564.....समय.....5:30 pm.....
   (ब) अपराध घटने का दिनांक व समय.....23.03.2022.....
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक .....22.02.2022..... समय.....
4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – लिखित।
5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– .....दक्षिण करीब 4 किमी.....
   (ब) पता.....बीकानेर.....बीटसंख्या....जयरामदेही सं....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना .....जिला .....
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम :– **श्री धमेन्द्र कुमार पंवार**
   (ब) पिता/पति का नाम :– **श्री भीखाराम**
   (स) जन्म तिथि/आयु वर्ष :– 46
   (द) राष्ट्रीयता :– भारतीय
   (य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि.....जारी होने की जगह .....
   (र) व्यवसाय – .....प्राईवेट नौकरी .....
   (ल) पता .... **खजानची भवन के सामने वाली गली रानी बाजार बीकानेर** .....
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
   श्री अखेसिंह पुत्र श्री रतनसिंह जाति राजपूत उम्र 38 साल निवासी गोपेश्वर बस्ती, भादानीयों की तलाई के पास, पुलिस थाना गंगाशहर जिला बीकानेर हाल हैड कानि नम्बर 102 पुलिस थाना महिला, बीकानेर
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई विलम्ब नहीं।
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य .....
11. पंचनामा यू॰ डी॰ केस संख्या (अगर हो तो) .....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 22.02.2022 वक्त 01:50 पीएम श्री रजनीश पूनियां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो बीकानेर द्वारा तलब करने पर श्री दिलीप कुमार पुलिस निरीक्षक एसीबी एसयू बीकानेर हमराह श्री जमील अहमद कानि डिजीटल टेप रिकॉर्डर व एक नया मैमोरी कार्ड लेकर एसीबी एसयू बीकानेर से वक्त 01.45 पी.एम पर रवाना होकर एसीबी चौकी बीकानेर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कक्ष में पहुंचे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने पास बैठे व्यक्ति से पुलिस निरीक्षक का परिचय करवाते हुए बताया कि यह परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार पंवार निवासी खजांची भवन के सामने वाली गली रानी बाजार बीकानेर है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार का प्रार्थना पत्र श्री दिलीप कुमार पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिये। पुलिस निरीक्षक परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार तथा परिवादी का प्रार्थना पत्र हमराह एसीबी बीकानेर कार्यालय के एक कक्ष में पहुंचे। परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्री भीखाराम जाति पंवार (माली) उम्र 46 वर्ष पेशा प्राइवेट नौकरी निवासी खजांची भवन के सामने वाली गली रानी बाजार बीकानेर ने पूछने पर अपने प्रार्थना पत्र के तथ्य सही होना तथा प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखा होना तथा उस पर स्वयं पर के हस्ताक्षर होना बताया। श्री धर्मेन्द्र कुमार ने पूछने पर बताया कि मेरे व मेरे परिवारजन के खिलाफ मेरे भतीजे की बहु मोनिका पुत्री नन्दकिशोर ने महिला पुलिस थाना बीकानेर में मुकदमा नम्बर 35/2021 दर्ज करवायी थी जिसमें पुलिस द्वारा

अनुसंधान कर एफआर लगा दी गई। मोनिका मुकदमा दर्ज करवाने के बाद कभी हमारे घर नहीं आयी, न ही कभी हमसे मिली। अब उसने हमे डराने के लिए दुसरी एफआईआर संख्या 215/2021 दर्ज करवायी है। थानाधिकारी सुरेन्द्र प्रजापति व उनके रीडर के कहे अनुसार मैंने सारे कागज व गवाही करवा दी। थानाधिकारी व उसका रीडर कह रहा है कि कागज तो पूरे हो गये परन्तु कार्यवाही आपके पक्ष में करवानी है तो कुछ और भी करना पडेगा, और राशि जितनी बडी होगी उतना ही सहयोग करेंगे। मेरा उनसे कोई उधार का लेन देन बकाया नहीं है, ना ही मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत रंजिश है। मैं हमारे जायज काम के लिए रिश्वत नहीं देना चाहता तथा उन्हे रंगे हाथों रिश्वत लेते पकडवाना चाहता हूं। परिवादी के प्रार्थना पत्र व दरियाफ्त पूछताछ पर मामला प्रथम दृष्टया पीसी एक्ट की परीधी में आता है। अतः रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही करवायी जाकर अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। परिवादी श्री धमेन्द्र कुमार द्वारा पेश किये गये अ.सं. 35/2021 व 215/2021 एफआईआर की फोटो प्रति पर श्री धर्मेन्द्र कुमार के हस्ताक्षर करवाये गये। वक्त 02:10 पी.एम पर परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार को रिश्वत मांग सत्यापन की प्रक्रिया बाबत बताने पर बताया कि मैं महिला पुलिस थाना बीकानेर में जाकर थानाधिकारी सुरेन्द्र प्रजापति व रीडर सुमित से मिलकर अपने काम के सम्बन्ध में वार्ता कर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवा दूंगा। परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार से श्री जमील अहमद कानि 147 का आपसी परिचय करवाया जाकर परिवादी के प्रार्थना पत्र के तथ्यों से श्री जमील अहमद को अवगत करवाया गया। डिजीटल टेप रिकॉर्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर डिजीटल टेप रिकॉर्डर को चालू, बंद करने व वार्ता रिकॉर्ड करने की विधि श्री धर्मेन्द्र कुमार को समझाई गई। वक्त 02:20 पी.एम पर डिजीटल टेप रिकॉर्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर श्री जमील अहमद कानि को सुपुर्द कर हिदायत की गई कि परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार को आरोपी से सम्पर्क करने हेतु रवाना करने से पूर्व परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार को डिजीटल टेप रिकॉर्डर चालू करके देवे। परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार व श्री जमील अहमद कानि को हिदायत मुनासिब कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु महिला पुलिस थाना बीकानेर के लिए परिवादी की मोटरसाईकिल से रवाना किया गया। वक्त 02:58 पी.एम पर परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार ने अपने मोबाईल नम्बर 9414141115 से पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर 9928749284 पर वाट्सएप मैसेज किया जिसमें बताया कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है तुरन्त ही परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार ने अपने मोबाईल से पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर कॉल कर बताया कि वाट्सएप देख लो तो मैंने पूछा की क्या हुआ तो उसने कहा कि मुझे इस प्रकरण में गिरफ्तार कर लिया है तो मैंने पूछा कि आपकी तलाशी ली है क्या तो परिवादी ने बताया नहीं। समस्त हालात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निवेदन किये गये। श्री जमील अहमद कानि को जरिये फोन आवश्यक निर्देश दिये गये। वक्त 04:35 पी.एम पर इस समय परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार व श्री जमील अहमद कानि ब्यूरो कार्यालय बीकानेर में उपस्थित आये तथा श्री जमील अहमद कानि ने डिजिटल टेप रिकार्डर पु.नि. को सुपुर्द करते हुए बताया कि हम दोनो ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर महिला पुलिस थाना बीकानेर के सामने वाली कॉलोनी के पार्क के पास जाकर रूके तथा मैने डिजिटल टेप रिकार्डर चालु कर श्री धर्मेन्द्र कुमार को सुपुर्द कर आरोपी से सम्पर्क करने हेतु महिला पुलिस थाना बीकानेर की तरफ रवाना किया तथा मैं पुलिस थाने के आस पास उपस्थिति छुपाते हुए मुकीम रहा। करीब डेढ घंटे के बाद श्री धर्मेन्द्र कुमार पुलिस थाने से बाहर आकर मेरे पास आये। मैने डिजिटल टेप रिकार्डर बंद कर अपने पास ले लिया और हम दोनो रवाना होकर उपस्थित आये। परिवादी ने श्री जमील अहमद कानि के कथनों की ताईद करते हुए बताया कि मैं महिला पुलिस थाना में गया तब मुझे थाने के अंदर श्री सुमीत रीडर मिला। उनके पास चार–पांच व्यक्ति बैठे थे। मैने उनसे नमस्कार किया तो उन्होने कहा कि आप कुछ देर बाहर बैठो जिस पर मैं पुलिस थाने के अंदर ही बैठा रहा। श्री सुमित ने कुछ समय बाद मुझे अपने कमरे में बुलाया तब मैने उनको कहा कि साब आपने मुझे 41 का नोटिस किस बात का दिया है मैने तो आपको सारे कागज वगेरा दे दिये। जिस पर श्री सुमित रीडर ने कहा आप लड़के लोकेश को पेश कर दो तो मैंने कहा अनुसंधान पूर्व मुकदमें में हो चुका है तो क्यों बुला रहे हो तब उसने कहा आप एसएचओ साब के पास चलों और मुझे सीआई साब के पास लेकर गया तब सीआई साब ने कहा इसको बाहर बैठा दो जिस पर मै बाहर आकर बैठ गया। कुछ समय बाद सीआई साहब व श्री सुमित रीडर दोनो बाहर आये तो मै सीआई साब के पास जाने लगा तब सीआई साब ने कहा की दूर खडे होकर बात करो। जिस पर मैने श्री सुरेन्द्र कुमार प्रजापति सीआई साहब को कहा कि साहब मैने सारे कागजात आपको दे दिये है उसके बाद भी मुझे 41 का नोटिस किस कारण दिया। तब सीआई साब ने कहा कि जो भी आपने कागज दिये है वो मेरे लिये जीरो है। सीआई साहब ने कहा कि तेरे से पैसे किसने मांगे तो मैने कहा कि आपकी

महिला कानिस्टेबल ने पैसो का ईशारा किया था। उसके बाद सीआई साब मेरे केस के संबंध में बिना तथ्यो के झुठे इलजाम मेरे पर लगाने लगे तब मैने उनको कहा साहब आप झुठ इलजाम लगा रहे हो तब सीआई साब आवेश में आकर तेज बोलने लगे तब मैने भी साब से कहा की आप झुठ बोल रहे हो और मैं भी थोडा तेज बोलने लगा तब सीआई साब ने स्टाफ से कहा कि व्यास कॉलोनी थाने फोन करो और इसको 151 में अंदर करो, और मुझे थाने के पास हवालात के पास बैठा दिया। इसी दौरान मैने आपको व मेरे वकील को मेरे को गिरफ्तार करने का मैसेज वाट्सअप किया था तथा आपको व मेरे वकील श्री गणेश गहलोत को कॉल भी करके बताया था। मैंने वहां से हैलमेंट उठाकर निकलने की कौशिश की तो चार–पांच कानिस्टेबलों ने मुझे जबरदस्ती उठाकर थाने की गाडी में बैठाने लगे इसी दौरान श्री कानदान जी एएसआई का सिर थाने के एल्युमिनियम के गेट से टकरा गया जिस कारण उनके सिर पर रगड लग गई तथा मुझे धमकाया कि आपके हेलमेट से चोट लगी है आप पर मुकदमा करूंगा नही तो माफी मांग। इसी दौरान थाने में व्यास कॉलोनी थाने का स्टाफ आया तब मेरे को डरा कर मेरे से लिखित में अभद्र व्यवहार की सीआई साहब ने माफी नामा लिखवाया श्री अखेसिंह जो महिला थाने में पदस्थापित है वो मेरे जान पहचान का था उसने बीच बचाव कर मेरे से सीआई से माफी मंगवायी। उसके बाद सीआई साहब ने मुझे लोकेश को पेश करने के लिए कहा और अखेसिंह व स्टाफ ने मुझे बैठाकर चाय पिलायी और कहा कि आप लोकेश को पेश कर दो तो मैंने कहा कि वो मेरे कहने में नहीं है तो अखेसिंह ने कहा कि आज मैंने सीआई साहब से रिक्वेस्ट करके आपको बचाया है आप लोकेश को पेश कर दो, मैं इस मुकदमें में आपकी हर तरह से मदद करवा दूंगा उसने मुझे से आज शाम या कल मिलने आने की भी बात कही। उसके बाद उन्होने मुझे वहां से जाने दिया। मैं थाने से बाहर आकर पूर्व तयशुदा जगह पहुंचा तो जमील दिखाई नहीं दिया तो आपको कॉल किया, उसके बाद जमील कानि को कॉल कर उसके पास पहुच कर डिजिटल टेप रिकार्डर जमील को दे दिया था। उनके द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर बंद कर अपने पास रख लिया। रीडर सुमित व थानाधिकारी सुरेन्द्र प्रजापति द्वारा मेरे से आज रिश्वत की मांग नही की गई है। डिजिटल टेप रिकार्डर को श्री जमील अहमद कानि व परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार के समक्ष लैपटॉप से कनेक्ट कर परिवादी द्वारा महिला पुलिस थाना में रीडर सुमित व थानाधिकारी सुरेन्द्र प्रजापति से की गई वार्ता की रिकॉर्डिंग सुनी गई। वार्ता में रीडर सुमित व थानाधिकारी सुरेन्द्र प्रजापति द्वारा परिवादी से रिश्वत की मांग नहीं की गई है। परिवादी द्वारा बताये गये तथा रिकार्ड वार्ता में रीडर सुमित व थानाधिकारी सुरेन्द्र प्रजापति के द्वारा रिश्वत मांग के तथ्य नहीं है इसलिए रिकार्ड वार्ता की फर्द ट्रासक्रिप्ट तैयार नहीं की गई। परिवादी को हिदायत की गई कि यदि रीडर सुमित व थानाधिकारी सुरेन्द्र प्रजापति या अन्य किसी किसी के द्वारा आपसे सीधे या किसी के माध्यम से रिश्वत के लिए सम्पर्क करते है तो आप तुरन्त मन पुलिस निरीक्षक से सम्पर्क करे। अब तक के समस्त हालात श्रीमान अति.पुलिस अधीक्षक को निवेदन किये गये। परिवादी को हिदायत कर फारिग किया गया। पुलिस निरीक्षक हमराह श्री जमील अहमद कानि के डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय गोपनीय कागजात लेकर एसीबी चौकी बीकानेर से वक्त 07:30 पीएम पर रवाना होकर एसयू बीकानेर कार्यालय वक्त 7:40 पीएम पर पहुंचा। कार्यवाही में प्रयुक्त डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड तथा कार्यवाही से सम्बन्धित दस्तावेज सुरक्षित रखे।

दिनांक 23.02.2022 वक्त 06:28 पीएम पर पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार से जरिये मोबाईल सम्पर्क करने पर परिवादी ने बताया कि अखेसिंह ने मोबाईल पर कॉल करके मिलने के लिए थाने पर बुलाया तो मैंने उसे सुबह मिलने का कहा है। जिस पर परिवादी को कल दिनांक 24.03.2022 को अखेसिंह से मिलने जाने से पहले ब्यूरो कार्यालय पहुंचने हेतु पाबन्द किया गया। हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब को निवेदन किये गये। दिनांक 24.02.2022 वक्त 11:00 ए.एम पर परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार उपस्थित आया तथा पुलिस निरीक्षक को बताया कि मुझे श्री अखेसिंह हैड कानिस्टेबल कल शाम को फोन कर थाने बुलाया था जिस पर मैंने आपको भी वाट्सएप मैसेज कर बताया तथा जिस पर आपने मुझे कॉल किया तो मैंने आपको बताया था कि अखेसिंह मुझे थाने पर बुला रहा था परन्तु मैने सुबह मिलने के लिए कह दिया था। आज फिर थोडी देर पहले अखेसिंह ने फोन करके मुझे मिलने के लिए बुलाया है। मैं उससे मिलने जाउंगा तो वह मुझ से रिश्वत की मांग कर सकता है। वक्त 11:35 ए.एम पर कार्यवाही में पूर्व से प्रयुक्त डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड श्री जमील अहमद कानि को सुपुर्द कर हिदायत की गई कि परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार को संदिग्ध अधिकारी/कर्मचारी से सम्पर्क करने हेतु रवाना करने से पूर्व परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार को डिजीटल टेप रिकॉर्डर चालू करके देवे। परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार व श्री जमील अहमद कानि को हिदायत मुनासिब कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु महिला पुलिस थाना बीकानेर के लिए

परिवादी की मोटरसाईकिल से रवाना किया गया। वक्त 01.07 पीएम पर परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार व श्री जमील अहमद कानि कार्यालय में उपस्थित आये तथा श्री जमील अहमद कानि ने डिजिटल टेप रिकार्डर पुलिस निरीक्षक को देते हुए बताया कि हम दोनो ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर महिला पुलिस थाना बीकानेर से पहले नागणेची मंदिर के पास नाले पर रूक कर मैने डिजिटल टेप रिकार्डर चालु कर श्री धर्मेन्द्र कुमार को सुपुर्द कर अखेसिंह से सम्पर्क करने हेतु महिला पुलिस थाना बीकानेर की तरफ रवाना किया तथा मैं वहीं पर उपस्थिति छुपाते हुए मुकीम रहा। करीब एक घंटे के बाद श्री धर्मेन्द्र कुमार पुलिस थाने से बाहर आकर मेरे पास आये। मैने डिजिटल टेप रिकार्डर बंद कर अपने पास ले लिया। हम दोनो वहां से रवाना होकर रानी बाजार के पुलिये के पास पहुचे इसी दौरान श्री धर्मेन्द्र के पास फोन आया कि बच्ची को स्कूल से लेकर घर छोडना है तो श्री धर्मेन्द्र ने मुझे वही पुलिये पास छोड कर अपनी बच्ची को घर छोड़ कर वापस मेरे पास आये और हम दोनो रवाना होकर उपस्थित आये तत्पश्चात परिवादी श्री धमेन्द्र कुमार ने श्री जमील अहमद कानि के कथनों की ताईद करते हुए बताया कि हम दोनो ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर नगणेची माता के मंदिर के पास नाले पर पंहुचे श्री जमील अहमद कानि ने मुझे डिजिटल टेप रिकार्डर चालुकर मुझे सुपुर्द कर श्री अखेसिंह से सम्पर्क करने हेतु रवाना किया। मैंने वहां से रवाना होकर महिला थाने के नजदीक संदीप नाई की दुकान के पास जाकर श्री अखेसिंह को उसके मोबाईल नम्बर 9252061925 पर मेरे मोबाईल 9414141115 से स्पीकर ऑन कर कॉल किया उन्होने कहा कि आप थाने के गेट पर ही आ जाओं। जिस पर मैं महिला थाने के पास पहुचा इसी दौरान श्री अखेसिंह थाने से निकल कर संदीप की दुकान की तरफ जाते हुए मुझे कॉल रहा था तो मै मोटर साईकिल लेकर उसके पास पहुच गया। श्री अखसिह मेरी मोटर साईकिल पर पीछे बैठ गया और हम दोनो मेरी मोटर साईकिल से रवाना होकर महिला थाने के सामने कुछ दूरी पर एक सार्वजनिक पार्क बना हुआ है उस पार्क में गये तथा पार्क के पास ही श्री अखेसिंह की भानजी का मकान है। श्री अखेसिंह ने अपनी भानजी को कहा कि दो कॉफी बना दे हम पार्क में बैठे है। हम दोनो पार्क में बैठ कर बाते करने लगे। श्री अखेसिंह ने मेरे खिलाफ महिला थाने में दर्ज प्रकरण में किस किस का नाम है के बारे में पूछा तब मैने उनको बताया कि हम सात व्यक्ति है। जिस पर श्री अखे सिंह ने कहा मैं आपकी हर तरीके से मदद करूंगा, साब से बात करूंगा, अगर किसी को पैसे देने पडेंगे तो मैं मेरी जेब से दूंगा, मैं आपकी सारी टेन्शन मुक्त कर दूंगा आज से आपकी सारी टेन्शन मेरी है, इतने दिन तक तो मुझे पता नहीं था । आप कैसे ही करके लडके को बुलाओं, तब मैने उनको कहा लडका 10 से 15 मार्च के बीच में होली की छुट्टीयों में आयेगा। तब उन्होने कहा कि ठीक है। इसी दौरान कॉफी आ गई हमने काफी पी और मेरे विरूद्ध पुलिस थाना में दर्ज पिछले प्रकरण के बारे में पूछा और कहा कि उस दौरान आपसे क्या लिया तब मैने उनको कहा कि मेरे भतीज श्री लोकश कुमार से डराधमका कर रीडर सुमित ने तीस हजार रूपये वकील के मार्फत व एसएचओं साहब ने मेरे बडे भाई श्री महेन्द्र कुमार को डराधमका कर जोशी नाम के किसी कोर्ट के कर्मचारी के मार्फत डेढ लाख रूपये लिये थे । लोकेश की पत्नी मोनिका ने भी समझोते के जरिये चैक पांच लाख रूपये लिये थें लेकिन रूपये लेने के बाद मोनिका के पिता ने मोनिका को ससुराल नही भेजा जिस पर लोकेश एसएचओं साहब के पास आया था और एसएचओ साहब ने मोनिका के माता पिता को भी बुलाया था। मैने जोशी जो एसएचओ साहब के लिए पैसे लेने मेरे भाई के घर आया था से संबंधित घर के सीसी टीवी कैमरे के फुटेज मेरे पास वो मैने श्री अखे सिंह को दिखाये श्री अखेसिंह ने मुझे मेरे भतीजे लोकेश को पेश करने की शर्त पर एसएचओं से बात कर पूरी मदद करवाने का आश्वासन दिया। उसके बाद हम दोनो वहां से रवाना होकर पुलिस थाने पास आये मैने श्री अखेसिंह को पुलिस थाने के पास छोड कर श्री जमील अहमद कानिस्टेबल के पास गया। श्री जमील अहमद को मैने डिजिटल टेप रिकार्डर दिया उनके द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर बंद कर अपने पास रखा और हम दोनो कार्यालय में आये। परिवादी ने बताया कि श्री अखेसिंह मुझे विश्वास में लेकर मुझे मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमें में मदद करने की एवज में एसएचओं, रीडर सुमित व स्वयं के लिए रिश्वत राशि की मांग जरूर करेगा। डिजिटल टेप रिकॉडर को चालुकर सुना गया जिसमें परिवादी के कथनो की ताईद हुई। वार्ता में पूर्व में परिवादी के भाई व भतीजे द्वारा पहले के मुकदमें में रिश्वत देने के तथ्य आये है जिसके संबंध में परिवरादी से पूछने पर श्री धमेन्द्र कुमार ने बतया कि मेरे भतीजे व मेरे भाई को डरा धमका कर थानाधिकारी व उसके रीडर ने रिश्वत ली थी। पूछने पर बताया कि उक्त रिश्वत राशि मेरे भाई व भतीजे ने मेरी जानकारी के बिना ही दे दी थी। उक्त वार्ता में किसी प्रकार के रिश्वत की मांग करने के तथ्य नहीं है। हालात उच्च अधिकारियों को निवेदन किये गये। वक्त 3.10 पी.एम. पर

श्री धमेन्द्र को मुनासिब हिदायत कर फारिग किया गया। कार्यवाही में प्रयुक्त डिजिटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड की सुरक्षित अलमारी मे रखे।

दिनांक 08.03.2022 वक्त 02:10 पी.एम. पर परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार पंवार उपस्थित आया व बताया कि मेरे भतीजे लोकेश की तरफ से माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर याचिका 6975/2021 में माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 04.03.2022 के अनुसार दोनों पक्षों को समझौता वार्ता के लिए दिनांक 22.03.2022 को हाई कोर्ट में उपस्थित होना है। याचिका में पारीत आदेश दिनांक 04.03.2022 की प्रति पेश की जो शामिल कागजात की गई। परिवादी ने बताया कि दिनांक 5.3.2022 को मेरी अखेसिंह से बात हुई थी परन्तु उसके द्वारा मेरे मुकदमें में रिश्वत बाबत वार्ता नही कीं गई परन्तु स्वेच्छा से थाने में टेबल कुर्सी देने बाबत कहा था। अब अखेसिंह या अन्य थाना स्टाफ मेरे से सम्पर्क करेगा तो मैं आपसे कार्यवाही हेतु सम्पर्क कर लूंगा। हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निवेदन किये गये। श्री धर्मेन्द्र कुमार पंवार को हिदायत कर वक्त 02:30 पीएम पर फारीग किया गया। दिनांक 23.03.2022 वक्त 02:15 पी. एम. परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार की मिस काल प्राप्त होने पर पुलिस निरीक्षक द्वारा मेरे मोबाईल नम्बर से परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार के मोबाईल नम्बर 9414141115 पर वार्ता की गई तो बताया कि अखेसिंह हैड कानि ने मेरे से दो बार मोबाईल पर बात की है तथा वो कह रहा है कि मेरी एसएचओ साहब से बात हो गई है, आप आजाओ बैठ कर बात कर ले। उसने मुझे बातो बातों में मेरे मामले में मदद करने का आश्वासन भी दिया है। श्री अखेसिंह हैड कानि ने मुझे महिला पुलिस थाना बीकानेर के पास छः साढे छः बजे बुलाया है। जिस पर परिवादी को वक्त 5:30 पीएम पर कार्यालय हाजा पर उपस्थित होने की हिदायत की गई। हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निवेदन किये गये। वक्त 06:35 पी.एम. परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार उपस्थित आया व बताया कि श्री अखेसिंह हैड कानि ने अपने मोबाईल नम्बर 9252061925 से मेरे मोबाईल नम्बर 9414141115 पर आज दिन में दो बार मुझे कॉल किया। उसने कहा कि उसकी मेरे प्रकरण में एसएचओ साहब से बात हो गई है आप आ जाओ रूबरू बैठकर बात कर लेंगे इसके साथ ही उसने मेरे बडे भाई द्वारा पूर्व में जिस जोशीजी के मार्फत रूपये दिये गये थे के बारे में बात करते हुए सफाई दी की वो पैसे एसएचओ साहब को नहीं मिले है आप चाहो तो इसके बारे में भी बात साफ कर सकते है, अब वाले प्रकरण में बात करने के लिए आप आजाओ बात कर लेंगे। श्री अखेसिंह ने मुझे मेरे केस में बात करने के लिए महिला पुलिस थाना बीकानेर के पास बुलाया है, वो मेरे से रिश्वत की मांग कर सकता है। वक्त 07:10 पी.एम. पर कार्यवाही में पूर्व से प्रयुक्त डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड व एक दुसरा डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड श्री जमील अहमद कानि को सुपुर्द कर हिदायत की गई कि परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार को संदिग्ध अधिकारी/कर्मचारी से सम्पर्क करने हेतु रवाना करने से पूर्व परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार को दोनों डिजीटल टेप रिकॉर्डर चालू करके देवे। परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार व श्री जमील अहमद कानि को हिदायत मुनासिब कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु महिला पुलिस थाना बीकानेर के लिए परिवादी की मोटरसाईकिल से रवाना किया गया। वक्त 08:02 पी.एम. पर परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार पंवार व श्री जमील अहमद कानि उपस्थित आये तथा श्री जमील अहमद कानि ने डिजीटल टेप रिकॉर्डर पेश कर बताया कि मैं व श्री धर्मेन्द्र कुमार पंवार ब्यूरो कार्यालय से परिवादी की मोटरसाईकिल से रवाना होकर नागणेची मन्दिर पवनपुरी बीकानेर के पास पहुंचे। मैंने डिजीटल टेप रिकॉर्डर चालू करके परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार को दे दिया। परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार ने अपने मोबाईल से संदिग्ध अखेसिंह को मोबाईल पर कॉल करके उसे नागणेची मन्दिर के पास बने नाले पर बुलाया। मैं परिवादी को नाले की तरफ रवाना कर आस पास अपनी उपस्थिति छिपाते हुए खड़ा हो गया। परिवादी द्वारा संदिग्ध से वार्ता की उपरान्त तय स्थान पर मेरे पास पहुंचा। मैंने डिजीटल टेप रिकॉर्डर को बन्द करके अपने पास रख लिया। उसके बाद मैं व धर्मेन्द्र कुमार वहां से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय पहुंचे। परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार पंवार ने जमील अहमद कानि के बताये तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि मैंने नाले पर जाकर 10 मिनट तक अखेसिंह का इन्तजार किया परन्तु वह नहीं आया जिस पर पुनः उसको कॉल किया तो कुछ देर बाद वह आ गया। नाले के पास बने डेयरी बूथ से ठण्डे की बोतल लेकर पास ही बैठकर अखेसिंह से बात की। पहले तो अखेसिंह ने मेरे भाई ने पिछले मुकदमें के समय किसी जोशी नाम के व्यक्ति को जो राशि दी थी वह वापस दिलवाने की बात की फिर कहा कि मेरी सीआई साहब से बात हो गई है इस मुकदमें में सब का नाम निकालकर एफआर लगा देंगे। जितने सीआई साहब लेंगे उसके आधे मैं लूंगा। मेरे पूछने पर उसने बताया कि बीस हजार सीआई साहब को व दस हजार मेरे को दे देना अखेसिंह से हुई वार्ता को मैंने ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया है। फिर मैं जमील अहमद के पास तय स्थान पर पहुंचकर

डिजीटल टेप रिकॉर्डर उसको दिया तो उसने बंद करके अपने पास रख लिया तथा हम दोनों वहां से ब्यूरो कार्यालय के लिए मोटरसाईकिल से रवाना हुए तो रास्ते में श्री अखेसिंह का फोन आया व उसने कहा कि अभी मेरी सीआई साहब से स्पष्ट वार्ता नहीं हुई है। मोटरसाईकिल पर होने से उक्त वार्ता को ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। इसी दौरान वक्त 08:11 पी.एम पर परिवादी धर्मेन्द्र कुमार पंवार के मोबाईल नम्बर 9414141115 पर अखेसिंह के मोबाईल नम्बर 9252061925 पर कॉल आया तो परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर परिवादी की वार्ता करवायी गई जो ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई। वार्ता के दौरान अखेसिंह ने डर लगने का कहा तो परिवादी ने उसे आश्वस्त किया तो अखेसिंह ने परिवादी से कहा कि मैं कल सीआई साहब से बात करके आपको बता दूंगा आप शोभा किराणा स्टोर पर बिना मोबाईल के दो मिनट के लिए आ जाना। आपकी सीआई साहब बात करवा दूंगा। डिजीटल टेप रिकॉर्डर को परिवादी व जमील अहमद कानि की उपस्थिति में चला कर सुना गया तो दोनों वार्ताऐं रिकॉर्ड होना व परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद हुई। परिवादी को रिकॉर्ड वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्टस तैयार करने बाबत कहा तो उसने कहा कि रात्रि हो चुकी है मुझे घर जाना आवश्यक है मैं कल आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। समस्त हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निवेदन किये गये। वक्त 09:15 पी.एम पर परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार पंवार को हिदायत कर फारीग किया गया व डिजीटल टेप रिकॉर्डर को पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखे।

दिनांक 24.03.2022 वक्त 10:45 ए.एम पर परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार पंवार उपस्थित आया। परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में वार्ता रिकॉर्ड की गई थी का डिजीटल टेप रिकॉर्डर पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित है को निकालकर परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार पंवार व श्री जमील अहमद के समक्ष वार्ता के डिजीटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय से कनेक्ट कर दिनांक 23.03.2022 को परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार पंवार व आरोपी श्री अखेसिंह हैड कानि के मध्य हुई रूबरू वार्ता व मोबाईल पर हुई वार्ताओं की सुन सुन कर छह ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तैयार की गई। वार्ताओं की तीन डीवीडी तैयार की गई जिन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर एक डीवीडी को सफेद कपडे की थैली में डालकर सीलचीट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। डिजीटल टेप रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड को आगे की कार्यवाही में काम लिया जाना है इसलिए मैमोरी कार्ड को सीलचीट नहीं किया गया। दिनांक 22 व 24.02.2022 को डिजीटल टेप रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट आईन्दा तैयार की जावेगी। 01:20 पी.एम पर परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार पंवार के मोबाईल नम्बर 9414141115 से अखेसिंह के मोबाईल नम्बर 9252061925 पर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर वार्ता करवायी गई। वार्ता को ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। वार्ता में अखेसिंह ने कहा कि मैं बाद में बात करता हूं। परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार पंवार ने बताया कि मेरे को खाना खाने जाना है तथा घर पर जरूरी काम है इसलिए घर जाना है। यदि अखेसिंह मेरे से सम्पर्क करेगा तो मैं तुरन्त आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। परिवादी को हिदायत कर फारीग किया तथा हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निवेदन किया गया। डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखे गये। वक्त 06:05 पी.एम पर परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार पंवार उपस्थित आया व बताया कि आज दिन में खाना खाने के बाद अपने ऑफिस में बैठा था तो अचानक अखेसिंह मेरे ऑफिस में आ गया और मेरा मोबाईल चैक करने के बाद मुझ से बात की और कहा कि आज के प्रकरण में एसएचओ साहब से बात हो गई है वो आपसे सीधे नहीं मिलेंगे। आपका काम होने के बाद आप रूपये मुझे दे देना, मुझे रूपये देने के दो तीन घन्टे बाद चाहे आप एसएचओ से मिल सकते है। अखेसिंह चतुर व चालाक है जो सांवधानिक पूर्वक रिश्वत लेन देन की बात करता है लेकिन अब वह मुझ से सम्पर्क करेगा तो उससे मिलने जाने से पूर्व मैं आपसे सम्पर्क कर लूंगा। परिवादी को दिनांक 22 व 24.02.2022 को रिकॉर्ड वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट बाबत कहा तो उसने कहा कि अभी मेरा मार्च क्लोजिंग चल रहा है। मार्च के बाद मैं आपसे सम्पर्क कर लूंगा। परिवादी को हिदायत कर वक्त 06:35 पीएम पर फारीग किया गया। हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निवेदन किये गये।

दिनांक 01.04.2022 वक्त 05:20 पी.एम पर परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार पंवार उपस्थित आया व बताया कि दिनांक 29.03.2022 को श्री अखेसिंह हैड कानि पुलिस थाना महिला बीकानेर ने कहा कि साहब छुट्टी जा रहे है आप अन्तिम गवाह दाउ लाल सोलंकी के बयान करवा दो ताकि एफआर लग जाये। जिस पर दिनांक 30.3.2022 को मैं श्री दाउ लाल सोलंकी को साथ ले जाकर महिला थाना बीकानेर में बयान करवाये थे। दाउ लाल सोलंकी के बयान एसएचओ साहब

के रीडर ने लिखे थे तथा एसएचओ साहब श्री सुरेन्द्र कुमार प्रजापति [illegible]ाने में मौजूद थे। उस दिन एसएचओ साहब व थाना स्टाफ ने मेरे से किसी ने भी कोई [illegible] नहीं [illegible]की थी। दिनांक 31.03.2022 को श्री अखेसिंह हैड कानि मेरे ऑफिस पर बने मार्केट मे[illegible]मिले थे तो उन्होने कहा कि थाने से जब आपके केस में एफआर की कार्यवाही पूरी होगी [illegible]सके बा[illegible] फाईल एसपी ऑफिस जायेगी उसके बाद एफआर कोर्ट में पेश होगी। उसके बाद [illegible]पको ए[illegible]फआर की कॉपी मिल जायेगी तब आप हमारी सेवा पानी कर देना। श्री अखेसिंह हमेशा [illegible]चानक [illegible]रे से मिलते है, वह बडी सावधानी बरत रहा है, मेरे केस में एफआर लगने के बाद ज[illegible]भी अखे[illegible]सिंह मेरे मिलेगा तथा रिश्वत राशि देने के लिए कहेगा तो मैं उससे समय लेकर आपसे [illegible]म्पर्क क[illegible]र डिजीटल टेप रिकॉर्डर लेकर उसके पास जाउंगा। परिवादी को पूर्व में दिनांक 22 [illegible] 24.02.2022 को रिकॉर्ड वार्ताओं की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने के समय उपस्थित रहने ब[illegible] पूछा तो परिवादी ने बताया कि अभी मैं व्यस्त हूं जिस दिन मेरे को समय होगा मैं आप[illegible] कार्यालय उपस्थित हो जाउंगा। परिवादी को गोपनीयता की हिदायत की गई। हालात श्रीमान [illegible]तिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निवेदन किये गये। परिवादी को वक्त 6 पीएम पर फारीग किया गय[illegible]

दिनांक 07.04.2022 वक्त 10.30 ए.एम पर परिवादी श्री धर्मेन[illegible] कुमार [illegible]यूरो कार्यालय में उपस्थित आया। परिवादी ने बताया कि दिनांक 03.04.2022 को रात्री [illegible]ब 9–9[illegible]30 बजे मुझे श्री अखेसिंह ने कॉल करके कहा कि आप गोपेश्वर चौक पर तुरन्त पहु[illegible] आपके मामले में कल दिनांक 04.04.2022 को हाईकोर्ट में तारीख है इस संबंध में आपसे ज[illegible]री बात करनी है। जिस पर मैं उससे मिलने गोपेश्वर चौक पहुंचा तो उसने एक मिठाई की [illegible]कान पर बैठ कर मुझसे बात की, मुझसे कहा कि आपके मामले में सबका नाम निकाल देंगे [illegible] चाहो तो पैसे अभी दे सकते हो जिस पर मैने कहा कि मैं, मेरा काम पूरा होकर एफआर की [illegible]पी मि[illegible]ने पर पैसे दूंगा यह बात आपसे पहले तय कर चुका हूं तो उसने कहा कि आप ऐस[illegible] करो किसी और आदमी बीच में गारंटी दिला दो तो मैने कहा मेरी दुकान के उपर नाई का क[illegible] करने वाले संदीप नाई की गारंटी ले लो जिस पर श्री अखे सिंह ने फोन पर संदीप नाई से [illegible] की [illegible] संदीप नाई ने मेरी गारंटी ले ली। श्री अखे सिंह ने उस दिन मुझे अचानक तुरन्त ही [illegible]ने का कहा था इसलिए मैं एसीबी कार्यालय नहीं आ सका लेकिन अब मैंने संदीप नाई को कह[illegible] दिया है कि अखेसिंह मेरे मामले में आपसे रूपये मांगे तो आप एक दो दिन का टाईम ले लेना [illegible]ब अखेसिंह, संदीप नाई या मुझसे सम्पर्क करेगा तो मैं आपसे सम्पर्क कर लुंगा। वक्त 10.4[illegible] ए.एम. [illegible]र परिवादी को रिकॉर्ड वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने के लिए पूछा तो उसने [illegible]नी सह[illegible]ति दी। दिनांक 22.02.2022 को परिवादी धर्मेन्द्र कुमार पंवार की आरोपी श्री अखेसिंह [illegible]ख्य आ[illegible]क्षक, श्री सुमित कुमार रीडर, श्री सुरेन्द्र प्रजापति एसएचओ महिला थाना बीकानेर व [illegible]न्य से [illegible]रूबरू हुई वार्ता, दिनांक 24.02.2022 को परिवादी धर्मेन्द्र कुमार पंवार व आरोपी अखेसिं[illegible]के मध्य रूबरू हुई वार्ता तथा दिनांक 23 व 24.03.2022 को परिवादी व आरोपी अखेसिंह के [illegible] रूबर[illegible] व मोबाईल पर हुई वार्ताए ब्यूरो के डिजिटल वाईस रिकार्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड [illegible] रिकार्ड की गई है, उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमारी कार्ड पुलिस निरीक्षक पास सुरक्षि[illegible] रखी है[illegible] उक्त वार्ताओं में से दिनांक 23.03.2022 को रिकॉर्ड मांग सत्यापन वार्ताओं की फर्द ट्रा[illegible]क्रप्ट दि[illegible]नांक 24.03.2022 को तैयार की जा चुकी है। रिकार्ड वार्ताओं के डिजिटल वाईस रिकार्[illegible] को क[illegible]म्प्यूटर से कनेक्ट कर श्री जमील अहमद कानिस्टेबल व परिवादी की उपस्थिति में शेष [illegible]र्ताओं [illegible]को सुन सुन कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट बनानी शुरू की गई। वक्त 01.15 पीएम पर परिवादी [illegible] भोजन इत्यादी करने के लिए गोपनीयता की हिदायत कर रूखस्त किया। डिजीटल टेप रिकॉर्ड[illegible] पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखा। वक्त 02.15 पीएम पर परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार पं[illegible] कार्या[illegible]लय में उपस्थित आया। परिवादी व श्री जमील अहमद कानिस्टेबल की उपस्थिति में [illegible]र्ताओं [illegible] डिजीटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट कर ट्रांसक्रिप्ट तैयार क[illegible] पुनः [illegible]शुरू की, वक्त 6.00 पीएम तक दिनांक 22.02.2022 तक की वार्ता को सुन सुन कर ट्रा[illegible]क्रिप्ट तै[illegible]यार की गई, शेष वार्ताओं की ट्रासक्रिप्ट के संबंध में पूछने पर परिवादी ने बताया की [illegible]कल दि[illegible]नांक 08.04.2022 को दोपहर बाद उपस्थित हो जाउंगा। डिजिटल टेप रिकार्डर मय मैमो[illegible] कार्ड पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखे। परिवादी को हिदायत कर रूखस्त किया गया[illegible]

दिनांक 08.04.22 वक्त 02.15 पीएम पर परिवादी श्री धर्मेन्[illegible] कुमार [illegible]वार कार्यालय में उपस्थित आया। जिस पर पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने पास रखे [illegible]जिटल [illegible]टेप रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर से परिवादी व श्री जमील अहमद कानि की [illegible]पस्थिति में कनेक्ट कर दिनांक 24.03.2022 को परिवादी व आरोपी अखेसिंह के मध्य रूबरू [illegible] व दि[illegible]नांक 24.03.2022 को मोबाईल पर हुई वार्ता को सुन सुन कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की [illegible]। उप[illegible]क्त रिकार्ड वार्ता दिनांक 22.02.2022 की दो ऑडियों फाईल्स, दिनांक 24.02.2022 व[illegible] एक [illegible]डियों फाईल व

दिनांक 24.03.2022 की एक ऑडियों फाईल कुल चार ऑडियों फाईल्स जो डिजिटल वाईरस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में सेव है को तीन तीन अलग अलग डिविडियों में कार्यालय कम्प्यूटर से कॉपी कर तीन सैट डीवीडी तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जहां पर एक डिविडी को एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सीलमोहर कर थैली पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। दो डीवीडी को अन्वेषण हेतु अनसिल्ड रखा गया। डिजिटल वाईस रिकार्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड जिसमें कुल 6 ऑडियों फाईल्स है को रिकार्डर से निकाल कर सेफ्टी कवर में रख कर एक कपडे की थैली में डालकर सील मोहर कर थैली पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। सील्ड शुदा वजह सबूत जरिये श्री राजेश कुमार एचसी नम्बर 76 के जमा मालखाना करवाया। दिनांक 08.04.2022 वक्त 04.50 पीएम इस समय परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार को हिदायत कर रूखस्त किया गया।

दिनांक 28.04.22 वक्त 12.40 पीएम पर परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार पंवार ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व बताया कि दिनांक 26.04.2022 को हमारे मामले में हाईकोर्ट जोधपुर में तारीख पेशी थी। उक्त तारीख पेशी के बारे में उस दिन शाम को अखेसिंह ने मुझे कॉल कर कहा कि हाईकोर्ट में आपके पक्ष में कार्रवाही हुई है, एसएचओं साहब ने कहा है कि आपको खुश खबरी बता दूं तो मैंने आपको फोन किया है। मैंने इस बारे में अपने वकील से पूछा तो उसने बताया कि महिला थाना बीकानेर की फैक्चुअल रिपोर्ट हाईकोर्ट जोधपुर में पेश हुई थी जिसमें अनुसंधान अधिकारी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनने की रिपोर्ट की है। इस आधार पर याचिका का निस्तारण हो गया है। परिवादी ने बताया कि अखेसिंह के कहेनुसार मेरे मामले में थानाधिकारी ने एफआर लगा दी है लेकिन अभी एफआर कोर्ट में पेश होनी है। अब अखेसिंह कभी भी अचानक मुझसे या संदीप से रिश्वत राशि लेने के लिए सम्पर्क कर सकता है। अब यदि वो सम्पर्क करेगा तो मैं ब्यूरो कार्यालय से सम्पर्क कर लूंगा। परिवादी को आवश्यक हिदायत कर वक्त 1:30 पीएम पर रूखस्त किया गया।

दिनांक 25.05.2022 वक्त 11:45 पी.एम पर परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार पंवार उपस्थित आया व बताया कि 5 या 6 मई 2022 को मैं अपने परिवार के साथ लक्ष्मीनाथ मन्दिर बीकानेर गया हुआ था तो वहां मुझे अखेसिंह हैड कानिस्टेबल मिला तब उसने बताया था कि आपके मामले में एफआर नोटिस जारी कर दिया है जिसकी तामील परिवादी या मोनिका से करवाकर जल्दी ही एफआर कोर्ट में पेश कर दूंगा। इसके मेरे वकील ने मुझे बताया कि महिला थाना बीकानेर की तरफ से दिनांक 11.05.2022 को हमारे मामले में कोर्ट में एफआर हेतु फाईल पेश की थी लेकिन कोर्ट मोनिका की पहले वाली एफआईआर में पेश एफआर की तारीख पेशी 10 अगस्त 2022 को ही इस एफआईआर की एफआर लेने के लिए कहा है। अब 10 अगस्त 2022 को मेरी एफआईआर में एफआर पेशी होगी तो उसके बाद ही अखेसिंह मुझ से रूपये लेने लिए बुला सकता है। जब भी अखेसिंह या अन्य मेरे से सम्पर्क करेगा तो मैं आपसे सम्पर्क कर लूंगा।

दिनांक 20.06.22 वक्त 1:10 पीएम परिवादी श्री धमेन्द्र कुमार ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया व बताया कि मेरे मुकदमें में महिला पुलिस थाना बीकानेर में एफआर नोटिस जारी किया गया था परन्तु मोनिका ने नोटिस नहीं लिया तथा मुकदमें को महिला थाना बीकानेर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परामर्श केन्द्र बीकानेर में स्थानान्तरण करवा लिया है श्री अखे सिंह हैड कानि ने मुझे बताया कि आपका प्रकरण स्थानान्तरण हो गया है परन्तु आपका केस ऐसे तैयार किया है कि उसमें अब आपको कोई दिक्कत नहीं आयेगी। मैं आपका काम करवाउंगा इसलिए श्री अखे सिंह मेरे से पैस जरूर लेगा। जिस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत कर रूकसत किया गया। दिनांक 20.09.22 वक्त 4:00 पीएम परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि श्री अखे सिंह मुख्य आरक्षक मेरे से रूपये नहीं मांगेगा, इसलिए अब आगे की कार्यवाही अभी तक के अनुसंधान आधारित चलवाने का कष्ट करें। परिवादी ने बताया कि श्री अखे सिंह को मेरे उपर शक हो जाने के कारण वह मेरे से रिश्वती राशि नहीं लेगा। इसलिए मैं अब आगे की कार्यवाही नहीं करवाना चाहता हूं। परिवादी श्री धमेन्द्र पंवार के प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर शामिल पत्रावली किया गया। फर्द नमूना सील, फर्द नष्टीकरण श्री जीमल कानि व परिवादी के समक्ष तैयार की गई। परिवादी को आवश्यक हिदायत कर रूकसत किया गया ।

अब तक के उपरोक्त तथ्यों से पाया गया है कि परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार व उसके परिजनों के नाम महिला पुलिस थाना बीकानेर में दर्ज प्रकरण 35/2021 में परिवादी के पक्ष में कार्यवाही करवाने के लिए श्री सुरेन्द्र प्रजापत थानाधिकारी पुलिस थाना महिला व उनके रीडर श्री सुमित कुमार द्वारा रिश्वत मांगने के सम्बन्ध में परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया। रिश्वत मांग सत्यापन पर उक्त प्रकरण में परिवादी के पक्ष में कार्यवाही करने एंव परिवादी की मदद

करवाने के बदले श्री अखे सिंह हैड कानि महिला पुलिस थाना बीकानेर द्वारा थानाधिकारी श्री सुरेन्द्र प्रजापत के लिए 20000/– रूपये व स्वंय के लिए 10000/– की रिश्वत की मांग कर जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करना प्रथम दृष्ट्या पाया गया है। श्री अखेसिंह पुत्र श्री रतनसिंह जाति राजपूत उम्र 38 साल निवासी गोपेश्वर बस्ती, भादानीयों की तलाई के पास, पुलिस थाना गंगाशहर जिला बीकानेर हाल हैड कानि नम्बर 102 पुलिस थाना महिला, बीकानेर के विरूद्व उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता कर अपराध पंजीबद्ध करने हेतु श्रीमान महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज. जयपुर की सेवामें प्रेषित है।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद शर्मा)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एस.यू.)
बीकानेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महावीर प्रसाद शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. बीकानेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री अखेसिंह, हैड कानि0 नं0 102, पुलिस थाना महिला, जिला बीकानेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 02/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

28.12.22

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः- 4225-28 दिनांक 28.12.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला बीकानेर।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. बीकानेर।

28.12.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।